रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 365] नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 27, 2009/फाल्गुन 8, 1930
No. 365] NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 27, 2009/PHALGUNA 8, 1930

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 फरवरी, 2009

का.आ. 565(अ).—जबकि राष्ट्रीय महिला आयोग ने मैंगलौर (कर्नाटक) में एक पब में एक हिन्दू संगठन के सदस्यों द्वारा लड़कियों पर तथाकथित हमले की जांच करने के लिए 27 जनवरी, 2009 के अपने आदेश सं. 8/5(1) सीएण्डआई/2009 के अनुसार आयोग की सदस्या, श्रीमती निर्मला वैंकटेश की अध्यक्षता में एक जाँच समिति का गठन किया;

जबकि श्रीमती निर्मला वैंकटेश को जांच के तुरन्त बाद अंतरिम रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने के आयोग के अनुरोध के बावजूद उन्होंने रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की, बल्कि सार्वजनिक रूप से अपने विचार प्रकट किए;

जबकि मीडिया में इस आशय की रिपोर्टें आईं कि श्रीमती वैंकटेश ने महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) के प्राधिकार पर प्रश्न चिन्ह लगाया, विशेषकर आयोग की सदस्या की रिपोर्ट के संबंध में राज्य मंत्री की संतुष्टि के संदर्भ में;

जबकि श्रीमती निर्मला वैंकटेश को अपने आचरण को स्पष्ट करने और यह कारण बताने का अवसर दिया गया था कि उनका आचरण राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्या के ऊंचे पद के अनुरूप न होने की वजह से उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों न की जाए ;

और जबकि श्रीमती निर्मला वैंकटेश का उत्तर संतोषजनक नहीं पाया गया तथा उनका व्यवहार उनके पद के अनुरुप नहीं पाया गया, जिससे उनका पद पर बना रहना सार्वजनिक हित में नहीं है।

अत:, अब राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 की धारा 4(3) (च) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार श्रीमती निर्मला वैंकटेश को राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्या के पद से तत्काल प्रभाव से पदमुक्त करती है।

[फा. सं. 9-3/2009-डब्ल्यू.डब्ल्यू.]

डॉ. (श्रीमती) किरण चड्ढा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th February, 2009

S.O. 565(E).—Whereas, the National Commission for Women (NCW) constituted an Inquiry Committee under the Chairpersonship of Mrs. Nirmala Venkatesh, Member, NCW *vide* its order No. 8/5(1)C&I/2009 dated 27-01-2009-NCW to inquire into alleged assault at girls by Hindu Outfit Members in a pub at Mangalore (Karnataka);

Whereas Mrs. Nirmala Venkatesh failed to submit an interim report soon after the inquiry despite a specific request to that effect by NCW but went public with her views;

Whereas reports appeared in the media that she questioned the authority of the Minister of State (IC), Women and Child Development especially with reference to the satisfaction of the Minister with the report of the Member, NCW;

Whereas Smt. Nirmala Venkatesh was given an opportunity to explain her conduct and show cause as to why action should not be taken against her for her conduct unbecoming of the high position of the Member of National Commission for Women;

And whereas the reply of Mrs. Nirmala Venkatesh was not found satisfactory and her acts were seen as unbecoming of the position she is holding which render her continuance in office detrimental to the public interest.

Now therefore, the Central Government under the powers vested in it *vide* Section 4 (3) (f) of the National Commission for Women Act, 1990 removes Smt. Nirmala Venkatesh from the position of Member, National Commission for Women with immediate effect.

[F. No. 9-3/2009-W.W.]

Dr. (Mrs.) KIRAN CHADHA, Jt. Secy.

778 GI/2009

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064